



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्ते/धनाउ/2022/4335 जयपुर, दिनांक:- 6.10.22

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अपील संख्या 8565/2022 एवं 9816/2022 में पारित आदेशों के कम में विभागीय आदेश क्रमांक 2055 दिनांक 01.06.2022 की कम संख्या 36 जिसके द्वारा श्री मानाराम सारण को विकास अधिकारी पंचायत समिति धनाउ जिला बाडमेर से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर किया गया था एवं विभागीय आदेश क्रमांक 2623 दिनांक 06.07.2022 की कम संख्या 26 जिसके द्वारा श्री मानाराम सारण को पंचायत समिति धनाउ जिला बाडमेर से आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त कर पंचायत समिति आउ जिला जोधपुर पदस्थापित किया गया था, उक्त दोनो आदेशों को निरस्त किया जाता है।

श्री मानाराम सारण यथावत विकास अधिकारी पंचायत समिति धनाउ जिला बाडमेर के पद पर कार्यरत रहेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर, बाडमेर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर।
10. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अपील संख्या 8565/2022 एवं 9816/2022 में तत्काल जवाब प्रस्तुत कर उक्त याचिकाओं को निष्फल करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
13. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. आदेश पत्रावली।

५७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)